सोशल आडिट निदेशालय

ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0
7वाँ तल, पी.सी.एफ. भवन, 32, स्टेशन रोड, लखनऊ–226001
Phone No.: 0522-2630878, Fax.: 0522-4003787, E-mail: socialauditup@yahoo.in

पत्रांकः 389 / सो.आ.नि.–312 / 2013
दिनाँकः 29 नवम्बर, 2013

प्रेषक,

निदेशक,
सोशल आडिट,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

विषयः ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटरों के कार्य–कलापों की समीक्षा एवं मार्गदर्शन दिए जाने हेतु जिला विकास अधिकारी द्वारा बैठकों का आयोजन।

महोदय,

आपका ध्यान शासनादेश संख्या 2533 / 38–1–2013–3536 / 2005, दिनांक 19 अगस्त, 2013 की ओर आकृष्ट किया जाता है। जिसके द्वारा DSAC/BSACs को जिला विकास अधिकारी के प्रशासकीय नियंत्रणाधीन रखा गया है और जिला विकास अधिकारी को जनपद स्तर पर सोशल आडिट कार्यक्रम के समन्वयक का दायित्व सौंपा गया है।

2. उक्त के क्रम में DSAC/BSACs द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा करने एवं उन्हें सोशल आडिट के सम्बन्ध में शासन तथा इस निदेशालय द्वारा प्रदत्त निर्देशों के आलोक में समुचित मार्गदर्शन देने एवं समस्याओं के निराकरण हेतु यह उपयुक्त होगा कि जिला विकास अधिकारी प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृतीय सप्ताह अपने जनपद के DSAC के साथ सभी BSACs की समीक्षा बैठक आयोजित करें। उक्त बैठक माह के प्रथम एवं तृतीय शनिवार को आयोजित की जा सकती है। इन बैठकों में DSAC एवं BSACs के कार्यों की समीक्षा की जाएगी तथा आगामी पक्ष की कार्ययोजना के सम्बन्ध में निर्देशित किया जाएगा। प्रत्येक बैठक का संक्षिप्त कार्यवृत्त DSAC द्वारा लिखा जाएगा, जिसका अनुमोदन विचारोपरान्त जिला विकास अधिकारी करेंगे।

3. यदि शनिवार को किसी ग्राम पंचायत में सोशल आडिट ग्राम सभा की तिथि निर्धारित हो तो उसे, बैठक होने के कारण, पर्याप्त समय रहते आगे की तिथि को निर्धारित किया जा सकता है।

कृपया तद्नुसार कार्यवाही हेतु अपने जनपद के जिला विकास अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(शंकर सिंह)
निदेशक।

पत्रांकः–389 / सो0आ0नि0–312 / 2013, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

3. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, अनुभाग–7, उ0प्र0 शासन।
4. आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त जिला विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(शंकर सिंह)
निदेशक।

ARUN (DESKTOP)